64023/2024

भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE

क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/ REGIONAL OFFICE, BHOPAL

Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,

BHOPAL – 462016 (M.P.)

TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in

क्रमांक: 6-एमपीबी 014/2023-बीएचओ/ दिनांक : 31 /01/2024

प्रति,

प्रधान सचिव (वन)
मध्यप्रदेश शासन,
वल्लभ भवन, भोपाल,
(मध्यप्रदेश) ।

विषय: छिन्दवाड़ा जिले में ए.डी.बी.-6/7 योजना के अन्तर्गत हर्रई-बिजोरी मार्ग (राज्यमार्ग क्रमांक-41) उन्नयन/निर्माण हेतु 6.372 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड को उपयोग पर देने बाबत (Online Proposal No. FP/MP/ROAD/124534/2021).

संदर्भ: 1) कार्यालय का पत्र क्रमांक 6-एमपीबी 014/2023-बीएचओ दिनांक 07/07/2023.
2) नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक एफ-5/1140/2022/10-11/ 246 दिनांक 12/01/2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्रों के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव से संबंधित अन्य वांछित जानकारियों/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है । अत: निम्नलिखित जानकारियों/ दस्तावेज प्रेषित करने का कष्ट करें :-

1. KML file uploaded for forest and non forest area in online portal. If, the non forest area is also involved in widening of the existing road then the requisite entry of the area may be made in designated columns in online portal.
2. The State Govt. has stated that the existing road is constructed before 1980 but as prescribed in the guideline (Handbook of FCA 1980at para 11.6 and guideline dated 15.03.2023) the copy of specific order for de-reservation or diversion of forest lands issued by the State Govt. prior to 25.10.1980, for the construction of existing road has not been provided. if, it is not available then the existing carriageway should also be part of the area proposed for diversion. The necessary changes in the proposal be made accordingly.
3. Also, name of authority who passed orders in violation of FCA , for construction of road(prior to 1980) needs to be provided.
4. As per the DSS report, some non forest area is falling in the forest compartment. The same is need to be re-verified by the concerned DFO.
5. Layout plan shall be submitted.

उपरोक्त जानकारी प्रेषित किये जाने का अनुरोध है जिससे प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही की जा सके।

(डॉ. योगेश गैरोला) 31/1/24

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि:
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, वन भवन, तुलसीनगर, भोपाल।

कार्यालय वन मंडलाधिकारी,
पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल
क्रमांक/मा.चि./ 684 दिनांक 7/02/24

प्रतिलिपि:- संभागीय प्रबंधक म०प्र० सड़क विकास निगम लि० छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित | कृपया पत्र में चाही गई 5 बिंदुओं की जानकारी इस कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

वन मंडल अधिकारी
पश्चिम छिन्दवाड़ा (सा.) वनमंडल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 1140 / 2022 / 10–11 / 808 भोपाल, दिनांक 5-2-24

प्रति,

संभागीय प्रबंधक,

मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश।

विषयः– छिन्दवाड़ा जिले में ए.डी.बी.–6 / 7 योजना के अन्तर्गत हर्रई–बिजोरी मार्ग (राज्यमार्ग क्रमांक–41) उन्नयन / निर्माण हेतु 6.372 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, छिन्दवाड़ा को उपयोग पर देने बाबत्। (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक / FP/MP/ROAD/124534/2021)

संदर्भः– भारत सरकार, भोपाल का पत्र क्रमांक / 6-MPR014/2023-BHO दिनांक 31.01.2024 .

----0----

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, त्वरित संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल ने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 05 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है।

अतः प्रकरण में भारत सरकार के चाहे अनुसार आपसे संबंधित जानकारी वन मण्डलाधिकारी के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को भिजवायें, ताकि प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(एच.एस. मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)

मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ–5 / 1140 / 2022 / 10–11 / 809 भोपाल, दिनांक 5-2-24

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), छिन्दवाड़ा वृत्त, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, पूर्व छिन्दवाड़ा / पश्चिम छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश।

की ओर उपरोक्त संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि भारत सरकार द्वारा चाही गई जानकारी आवेदक संस्थान से प्राप्त कर एकजाई जानकरी इस कार्यालय को भिजवायें, ताकि स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)

मध्यप्रदेश, भोपाल